न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः25/2022

उनवान

तहसीलदार, अरथूना जिला बांसवाड़ा।

–: प्रार्थी

बनाम

(1) श्री शान्तीलाल पिता गलीया भ्झील निवासी गामड़ीनारायण, तहसील अरथूना।

(2) श्री चतुरा, थावरा, देवकृष्ण, वारजी पिता कलजी भील निवासी गामड़ीनारायण, तहसील अरथूना।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांकः 16.3.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, अरथूना द्वारा ''प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021'' के दौरान् मौके पर चल रहें रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु अपने पत्रांक राजस्व/2022/104 दिनांक 09.02.2022 के द्वारा पटवार हल्का टिमुरव के मोजा गामड़ीनारायण के श्रीसरकार सर्वे नम्बर 1856 रकबा 0.08 हे0 किस्म–मगरी में से रकबा 0.04 हे0, श्री चतुरा, थावरा, देवकृष्ण, वारजी पिता कलजी भील के खातेदारी सर्वे नम्बर 1854 रकबा 0.10 हे0 किस्म–मगरी में से रकबा 0.03 हे0 श्री शान्तीलाल पिता भलीया भील के खातेदारी सर्वे नम्बर 2179/1856 रकबा 0.10 हे0 किस्म–मगरी में से रकबा 0.02 हे0 भूमि मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग/उपभोग मे आने के कारण रास्तें के प्रयोजन हेतु किस्म–रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

जमाबन्दी अनुसार विवरण				मौके पर चल रहें रास्ते का विवरण		
सर्वे नम्बर	रकबा (हे0)	किस्म	खातेदार का नाम	रास्ते की चौड़ाई	रास्ते की लम्बाई	रास्ते का क्षेत्रफल
1856	0.08	मगरी	श्रीसरकार	8.5 फीट	184 फीट	1564 वर्गफीट
1854,	0.10	मगरी	चतुरा, थावरा, देवकृष्ण, पिता कलजी भील	66 फीट	119 फीट	561 व 1010 वर्गफीट
2179/1856	0.10	मगरी	शान्तीलाल पिता भलीया भील			

नोटः– सर्वे नम्बर 1856 पर मौके पर रास्ता निकाले जाते समय नहर के स्वरूप को खतम नही किया जावेगा।

भूमिधारी तहसीलदार अरथूना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 व 136 के तहत दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सूचना–पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी शान्तीलाल पिता भलीया एंव श्री चतुरा, थावरा, देवकृष्ण, वारजी पिता कलजी भील ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपने बयान लेखबद्ध कराये जाकर तहसीलदार अरथूना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अपने खातेदारी भूमि में से रास्ते के पयोजन में आने वाली भूमि के रकबे की किस्म–रास्ता दर्ज किये जाने पर किसी प्रकार की उपत्ति नही होना प्रकट किया।

उपरोक्त भूमिया जो राजस्व रिकार्ड में [illegible] अप्रार्थीगण ,खातेदारान् काश्तकार के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि पर लाल स्याही [illegible] बताये गये रकबा पर रास्ता कौके पर चालू होना बताया है। पटवारी व भू–अभि0 निरीक्षक ने [illegible] पर उपरोक्त बताये गये रकबे पर रास्ता चालू होना बताया गया है तथा राजस्व रिकार्ड में किस्म–रास्ता दर्ज किये जाने को उचित बताया है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार, अरथूना [illegible] पुनः रिपोर्ट मंगवायी [illegible] भी उपरोक्तानुसार मौके पर रास्ता चालू होने की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांकः प.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.04.22 12:16:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुऐ पटवार हल्का टिमुरवा के मौजा गामड़ीनारायण के श्रीसरकार सर्वे नम्बर 1856 रकबा 0.08 हे0 किस्म–मगरी में से 8.5 फीट चौड़ाई एंव 184 फिट लम्बाई अर्थात 1564 वर्ग फीट भूमि तथा श्री चतुरा, थावरा, देवकृष्ण, वारजी पिता कलजी भील के खातेदारी सर्वे नम्बर 1854 रकबा 0.10 हे0 किस्म–मगरी एंव श्री शान्तीलाल पिता भलीया भील के खातेदारी सर्वे नम्बर 2179/1856 रकबा 0.10 हे0 किस्म–मगरी में से 66 फिट चौड़ाई एंव 119 फिट लम्बाई क्रमशः 561 वर्गफीट व 1010 वर्गफीट भूमि की किस्म–गैरमुमकिन रास्ता बाकि बदस्तुर दर्ज करनें करने का आदेश दिया जाता है। निजी खातेदार की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदारान् की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शें में व जमाबन्दी में पृथक से सर्वे नम्बर दिया जाऐगा व रास्तें के रकबे सहित किस्म–गैरमुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी। संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अंग समझा जायेगा।

आदेश आज दिनांक 16.3.2022 को जारी किया गया।

(हनमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.04.22 12:16:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 24/2022

उनवान

तहसीलदार, अरथूना जिला बांसवाड़ा।

–ः प्रार्थी

बनाम

(1) श्री शान्तीलाल पिता गलीया भील निवासी गामड़ीनारायण, तहसील अरथूना।
(2) श्री चतुरा, थावरा, देवकृष्ण, वारजी पिता कलजी भील निवासी गामड़ीनारायण, तहसील अरथूना।

–ः अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

संशोधित आदेश

दिनांकः 22.3.2022

इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 24/2022 उनवान तहसीलदार अरथूना बनाम शान्तीलाल वगैराह में जारी आदेश दिनांक 16.3.2022 में आंशिक संशोधन किया जाकर वर्णित तालिका में नीचे अनुसार शुद्धि की जाती हैः–

जमाबन्दी अनुसार विवरण				मौके पर चल रहें रास्ते का विवरण		
सर्वे नम्बर	रकबा (हे0)	किस्म	खातेदार का नाम	रास्ते की चौड़ाई	रास्ते की लम्बाई	रास्ते का क्षेत्रफल
1856	0.08	मगरी	श्रीसरकार	8.5 फीट	184 फीट	1564 वर्गफीट
1854,	0.10	मगरी	चतुरा, थावरा, देवकृष्ण, पिता कलजी भील	8.5 फीट	119 फीट	1010 वर्गफीट
2179/1856	0.10	मगरी	शान्तीलाल पिता भलीया भील	8.5 फीट	66 फीट	561 वर्गफीट

नोटः– सर्वे नम्बर 1856 पर मौके पर रास्ता निकाले जाते समय नहर के स्वरूप को खतम नही किया जावेगा।

संशोधित आदेश आज दिनांक 22.3.2022 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.04.22 12:16:26 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

Scanned by CamScanner